सत्यमेव जयते

भारत सरकार
भारत
का
विधि
आयोग

Law Commission of India
LIBRARY

अनधिवसित अलग कर दी गई क्रिश्चियन पत्नियों को विवाह–विच्छेद मांगने के लिए समर्थ बनाने हेतु विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का संशोधन

रिपोर्ट सं. 224

जून, 2009

भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 224)

अनधिवसित अलग कर दी गई क्रिश्चियन पत्नियों को विवाह–विच्छेद मांगने के लिए समर्थ बनाने हेतु विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का संशोधन

केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग द्वारा 25 जून, 2009 को प्रस्तुत की गई ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्तूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.III (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 7 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

डा. (श्रीमती) देविन्दर कुमारी रहेजा
डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै
प्रो. (श्रीमती) लक्ष्मी जमभोलकर
श्रीमती कीर्ति सिंह
श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण
श्री ओ. पी. शर्मा
डा. (श्रीमती) श्यामल्हा पप्पू

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

सदस्य - सचिव

डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि सलाहकार
डा. आर. एस. श्रीनेत	:	अधीक्षक (विधिक)

प्रशासनिक कर्मचारिवृंद

श्री सुशील कुमार	:	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर http://www.lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है

© भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्नों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए । इस सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव को डाक द्वारा भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली- 110 001, भारत के पते पर पत्र भेजकर या ई-मेल द्वारा : **lci-dla@nic.in** पर संबोधित किया जाना चाहिए ।

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001
टेली. : 91-11-23384475
फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)158/2009-वि.आ.(वि.अ.)

25 जून, 2009

प्रिय डा. वीरप्पा मोइली जी,

विषय : अनधिवसित अलग कर दी गई क्रिश्चियन पत्नियों को विवाह-विच्छेद मांगने के लिए समर्थ बनाने हेतु विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का संशोधन ।

मैं उपर्युक्त विषय पर भारत के विधि आयोग की 224वीं रिपोर्ट इसके साथ अग्रेषित कर रहा हूं ।

विधि आयोग से भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) द्वारा उसके अर्धशासकीय पत्र सं. ए 60011/25/2009-प्रशा.-III (वि.का.) तारीख 30.03.2009 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस सुझाव की परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया था, जो **इंदिरा राचेल** बनाम **भारत संघ** (1995 की रि. या. सं. 12816) में उसके आदेश तारीख 17.11.2008 में अंतर्विष्ट था कि विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 के यथोचित संशोधन पर विचार किया जाए ।

विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 का भारत से बाहर किए गए क्रिश्चियन विवाहों का विघटन करने के लिए भी अवलंब लिया जा सकता है । तथापि यह अधिनियम अनधिवसित पक्षकारों के क्रिश्चियन विवाहों को विघटित करने के लिए भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान नहीं करता है । इसके अतिरिक्त विवाह के विघटन के लिए किसी कार्यवाही में पक्षकारों के अधिवास का निर्धारण करने में यह केवल पति का अधिवास है जिस पर विचार किया जाना होता है क्योंकि पत्नी अपने विवाह पर अपने पति का अधिवास ग्रहण कर लेती है ।

निवास : संख्या 1, जनपथ, नई दिल्ली 110001. टेलीफोन नं. : 91-11-23019465, 23793488, 23792745
ई-मेल : ch.lc@sb.nic.in

यह विधि आयोग के विचारण के लिए था कि क्या विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में यथोचित संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे कि भारतीय न्यायालयों को उस दशा में किसी क्रिश्चियन विवाह के विघटन के लिए याचिका ग्रहण करने में समर्थ बनाया जा सके, जिसमें पति ने अपने भारतीय अधिवास में परिवर्तन कर लिया है और उसकी पत्नी याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में निवासी है ।

विधि आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2, जहां तक इसका संबंध विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाओं के बारे में अधिकारिता संबंधी नियम से है, वर्तमान समय में केवल उसके अनुरूप ही नहीं है किंतु भारत में किश्चियन स्त्रियों पर कठोर भी है ।

अतः विधि आयोग ने यह सिफारिश की है कि विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का यथोचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय न्यायालय किसी क्रिश्चियन विवाह के विघटन के लिए कोई याचिका ग्रहण करने के लिए उस दशा में हकदार होगा, जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कोई उस समय जब याचिका प्रस्तुत की जाती है, भारत में अधिवसित है । तथापि इस सुझाव से प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम में भी पत्नी के अधिवास के बारे में अर्थात पत्नी के निर्भर अधिवास की समाप्ति के लिए, साथ-साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, जैसाकि इंग्लैंड में डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1973 के माध्यम से किया गया था । विकल्पतः विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 का अनुसरण करते हुए, उक्त उपबंध को यह उपबंधित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि विवाह-विच्छेद के लिए कोई याचिका किसी क्रिश्चियन पत्नी द्वारा उस स्थान पर, जहां वह याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है, फाइल की जा सकती है ।

सादर

भवदीय,

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

डा. एम. वीरप्पा मोइली,
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

अनधिवसित अलग कर दी गई क्रिश्चियन पत्नियों को विवाह–विच्छेद मांगने के लिए समर्थ बनाने हेतु विवाह–विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का संशोधन

विषय–वस्तु

		पृष्ठ सं.
I:	प्रस्तावना	9–12
II:	अधिवास बनाम निवास	13–17
III:	विधि आयोग की 15वीं रिपोर्ट (1960)	18
IV	निष्कर्ष और सिफारिश	19–20

1. प्रस्तावना

1.1 विधि आयोग से भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) द्वारा उसके अर्धशासकीय पत्र सं. ए 60011/25/2009-प्रशा.-III (वि.का.) तारीख 30.03.2009 द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस सुझाव की परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया था, जो **इंदिरा राचेल** बनाम **भारत संघ** (1995 की रि. या. सं. 12816) में उसके आदेश तारीख 17.11.2008 में अंतर्विष्ट था कि विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 के यथोचित संशोधन पर विचार किया जाए ।

1.2 विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2, जो अधिनियम के विस्तार के लिए और साथ ही साधारणतय अनुतोष प्रदान करने की शक्ति के लिए उपबंध करती है । यथा निम्नलिखित है :

> "इस अधिनियम का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।
>
> इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी कि वह इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष उस दशा के सिवाय प्रदान करे जब अर्जीदार या प्रत्यर्थी क्रिश्चियन धर्म मानने वाला है,
>
> या विवाह विघटन की डिक्रियां उस दशा के सिवाय दे जब कि विवाह के पक्षकार उस समय जब अर्जी प्रस्तुत की जाती है भारत में अधिवसित हैं,
>
> या विवाह की अकृतता की डिक्रियां उस दशा के सिवाय दे जबकि विवाह का अनुष्ठापन भारत में किया गया है तथा अर्जी प्रस्तुत करते समय अर्जीदार भारत में निवासी है,
>
> या विवाह के विघटन या विवाह की अकृतता की डिक्री से भिन्न इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष उस दशा के सिवाय दे जबकि अर्जी प्रस्तुत करते समय अर्जीदार भारत में निवास करता है ।

1.3 विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 का भारत से बाहर किए गए क्रिश्चियन विवाहों का विघटन करने के लिए भी अवलंब लिया जा सकता है ।[1] तथापि यह अधिनियम अनधिवसित पक्षकारों के क्रिश्चियन विवाहों को विघटित करने के लिए भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान नहीं करता है ।[2] इसके अतिरिक्त विवाह के विघटन के लिए किसी कार्यवाही में पक्षकारों के अधिवास का निर्धारण करने में यह केवल पति का अधिवास है जिस पर विचार किया जाना होता है क्योंकि पत्नी अपने विवाह पर अपने पति का अधिवास ग्रहण कर लेती है ।[3]

1.4 मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के पैरा 4 और पैरा 5 निम्न प्रकार है :

> "4. याचिकाकर्ता के लिए हाजिर हाते हुए विद्वान् काउंसेल ने कहा कि यदि अधिनियम की धारा 2 का शाब्दिक निर्वचन किया जाता है तो उसका यह अभिप्राय होगा कि भारत में न्यायालय उस दशा के सिवाय जहां विवाह के पक्षकार उस समय जब याचिका प्रस्तुत की जाती है, भारत में अधिवसित है, विवाह के विघटन के लिए कार्यवाहियां ग्रहण करने में असमर्थ होंगे । उसको आशंका है कि यदि इसे कोई शाब्दिक अर्थ दिया जाता तो इसका यह अभिप्राय होगा कि जब तक दोनों पक्षकार याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में अधिवसित न हों तब तक न्यायालय ऐसा मामला ग्रहण करने में असमर्थ होंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि पक्षकारों में से किसी के प्रति घोर अन्याय होगा और वह अधिनियम के प्रयोजन को ही विफल कर देगा । उक्त प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता के लिए विद्वान् काउंसेल ने इंगित किया कि यदि किसी प्रस्तुत मामले में पति-पत्नी में से कोई स्थायी आधार पर दूसरे देश में प्रवास करता है और उस प्रक्रम पर यह प्रश्न

---

[1] ए. जी. गुप्ते विवाह और विवाह-विच्छेद संबंधी विधि, प्रथम संस्करण प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी इलाहाबाद (2007) पृष्ठ 1049.

[2] एच. के. सहारे, विवाह और विवाह विच्छेद संबंधी विधियां, 5वाँ संस्करण, ईष्टन लॉ हाउस, कलकता (2007) पृष्ठ 368.

उठता है, तो ऐसे पक्षकार को किसी विदेश के अधिवासी के रूप में माना जा सकेगा और इसलिए भारत में पीछे रह गए पक्षकार के लिए कोई विधिक उपचार नहीं रह जाएगा । अतः याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए अधिनियम की धारा 2 को अधिकारातीत घोषित किया जाए ।''

5. यद्यपि अधिनियम के उपबंधों का यह उपसंहार करने के लिए शाब्दिक रीति से निर्वचन किया जा सकता है कि दोनों पक्षकार याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में ही अधिवसित होने चाहिए, हमारी सुविचारित राय में अधिनियम का, जो वर्ष 1869 में प्रवृत्त हुआ था और संभवतया, जब ऐसी अभ्यावश्यकताएं ध्यान में नहीं थीं, वर्तमान आशय को प्रभावी बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्वचन किया जा सकता है जिससे कि उसे युक्तियुक्त और संविधान में प्रतिष्ठापित सिद्धांतों के अधिक अनुरूप बनाया जा सके । यदि पूर्वोक्त उपबंध का यह अभिप्रेत करने के लिए अर्थ लगाया जाता है कि कोई याचिका पोषणीय होगी यदि याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय कोई पक्षकार भारत में अधिवसित है, तो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी और दूसरी तरफ उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकेगी । अतः, हमारे अनुसार ऐसे उपबंध का यह अभिप्रेत करने के लिए निर्वचन किया जाना चाहिए कि भारत में न्यायालय उस दशा में विवाह के विघटन के लिए याचिका ग्रहण करने के लिए हकदार होंगे जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कोई उस समय जब याचिका प्रस्तुत की जाती है, भारत में अधिवसित है और ऐसे उपबंध का ऐसा अर्थ लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है कि मानो दोनों पक्षकारों को याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय भारत में ही अधिवसित होना चाहिए । हमारी सुविचारित राय में ऐसा कोई निर्वचन उसे संविधान के सिद्धांतो के अनुरूप ले आएगा । इसके अतिरिक्त हम सुझाव देते हैं कि देश के विभिन्न भागों में इस

---

[3] **आर. ई. अताउल्ला ब. जे. अत्ताउल्ला, ए.आई. आर. 1953 कलकत्ता 530.**

मामले में और विवाद से बचने के लिए विधि मंत्रालय, जो प्रथम प्रत्यर्थी है, उपबंधों में, जहां तक अधिनियम की धारा 2 का संबंध है, विवाह-विच्छेद से संबंधित समरूप विधियों में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों, यदि कोई हों, की दृष्टि से यथोचित संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर सकता है ।"

1.5 इस प्रकार यह विधि आयोग के विचारार्थ था कि क्या विवाह-विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में भारतीय न्यायालयों को उस दशा में जहां पति ने अपना भारतीय अधिवास परिवर्तित कर लिया है और उसकी पत्नी याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में निवासी है, क्रिश्चियन विवाह के विघटन के लिए याचिका ग्रहण करने के लिए भारतीय न्यायालयों को समर्थ बनाने हेतु यथोचित संशोधन की आवश्यकता है ।

II. अधिवास बनाम निवास

2.1 किसी व्यक्ति का अधिवास उसका स्थाई घर है । कोई व्यक्ति अधिवास के बिना नहीं हो सकता है और कोई व्यक्ति एक सक्रिय अधिवास से अधिक नहीं रख सकता है । राष्ट्रीय सीमाएं किसी व्यक्ति के अधिवास के चयन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है । इसका अंतर्निहित अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रिक एक देश का हो सकता है किंतु उसका अधिवास दूसरे देश में हो सकता है । अधिवास किसी व्यक्ति का विधि की राज्य क्षेत्रीय पद्धति के साथ संबंध का द्योतक होता है । अधिवास का महत्व इस तथ्य में है कि किसी व्यक्ति के कुटुंब संबंधी मामलों जैसे विवाह और विवाह-विच्छेद, का अवधारणा साधारणतया उसके अधिवास के स्थान की विधि के द्वारा, उसके धर्म के अतिरिक्त, किया जाता है । किसी विवाहित स्त्री का अधिवास विवाह के आधार पर वही होता है जो उसके पति का होता है ।

2.2 अधिवास के दो मुख्य वर्ग हैं : उद्भव का अधिवास और चयनका अधिवास । उद्भव का अधिवास प्रत्येक व्यक्ति को उसके जन्म पर विधि के प्रवर्तन द्वारा संसूचित किया जाता है । चयन का अधिवास पूर्ण वय के किसी व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिस्थापन में, जिसको वह वर्तमान में रखता है, अर्जित किया जाता है । नये अधिवास के अर्जन के लिए दो अपेक्षाएं हैं : निवास और आशय । यह अवश्य साबित किया जाना चाहिए कि प्रश्नगत व्यक्ति ने अपना निवास किसी निश्चित देश में वहां स्थाई रूप से रहने के आशय से स्थापित किया था । निवास और आशय के इन दोनों तत्वों में अवश्य सहमति होनी चाहिए, किंतु इससे यह नहीं कहना है कि उनकी सहमति में समय की एकता होने की आवश्यकता है । आशय निवास की स्थापना के पूर्व या बाद में हो सकता है ।[4]

2.3 अधिवास साधारणतया विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाओं को ग्रहण करने के लिए न्यायालयों की अधिकारिता के आधार का गठन करता है । यद्यपि भारत में विवाह संबंधी विधि

---

[4] चैसायर और नॉर्थ का प्राइवेट इंटरनेशनल ला, 13वां संस्करण, बटरवर्थस, लंदन (1999) पृष्ठ 137.

समुदाय प्रति समुदाय भिन्न होती है, किंतु अधिकारिता संबंधी नियम केवल थोड़ा सा भिन्न होता है ।[5] वह समय जिस पर अधिवास का अवधारण किया जाना होता है वह समय होता है जब कार्यवाहियां प्रारंभ की जाती हैं ।[6] इंग्लैंड में डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1973 ने विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाओं के संबंध में अधिकारिता संबंधी नियम की स्थिति परिवर्तित कर दी है और अब इंग्लिश न्यायालयों को विवाह-विच्छेद के लिए याचिका को ग्रहण करने के लिए अधिकारिता प्राप्त है यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई उस तारीख को, जब कार्यवाहियां प्रारंभ की जाती हैं, इंग्लैंड में अधिवसित है, जैसे अब 1 जनवरी, 1974 के पश्चात् कोई विवाहित स्त्री अपना स्वयं का पृथक अधिवास रख सकती है । उक्त अधिनियम न केवल पत्नी के निर्भर अधिवास की समाप्ति के लिए उपबंध करता है किंतु अधिकारिता के दूसरे आधार के रूप में 'आभ्यासिक निवास' को भी अंगीकार करता है : यदि विवाह का कोई पक्षकार उस तारीख को, जब कार्यवाहियां प्रारंभ की जाती हैं, समाप्त होने वाली एक वर्ष की संपूर्ण कालावधि में इंग्लैंड में आभ्यासिक रूप से निवासी था, तो इंग्लिस न्यायालयों को विवाह-विच्छेद के लिए कोई याचिका ग्रहण करने के लिए अधिकारिता प्राप्त है ।

2.4 भारत में यद्यपि पत्नी के निर्भर अधिवास की समाप्ति के लिए कोई विधि अधिनियमित नहीं की गई है, विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाओं के संबंध में (जिन्हें पक्षकारों के अधिवास से जोड़ा जा रहा है) अधिकारिता संबंधी नियम को कतिपय विवाह संबंधी विधानों में विभिन्न रूपों में शिथिल किया गया है । उदाहरण के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाह-विच्छेद के लिए कोई याचिका किसी पत्नी द्वारा ऐसे स्थान पर, जहां वह याचिका के प्रस्तुत किए जाने की तारीख को निवास कर रही है, फाइल की जा सकती है, देखिए विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 । विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 31 की उपधारा (2) में, उक्त 2003 के अधिनियम के पूर्व भी उपबंधित किया गया था कि किसी पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए कोई याचिका यहां फाइल की जा सकती थी यदि वह याचिका के प्रस्तुत किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि में, साधारणतया भारत में निवासी रही थी और ऐसा पति का निवास बाहर होने का ध्यान रखे बिना था ।

---

[5] पारस दीवान दि प्राइवेट इंटरनेशनल ला, चौथा संस्करण, दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली (1998) पृष्ठ 284.

[6] लियोन बनाम लियोन, (1966) 3 इलाहाबाद ईआर 820.

2.5 विवाह-विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा लाया गया उक्त संशोधन भारत के विधि आयोग[7] और राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों से प्रेरित था । विधि आयोग ने यह विचार प्रकट किया था कि ऐसा कोई संशोधन अभित्यजित या बाहर निकाली गई किसी पत्नी को, याचिका फाइल करने के लिए, न्यायालय के चयन की, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है जहां वह निवास कर रही है, स्वतंत्रता देगा, उसे व्यय के असहनीय बोझ और असुविधा से मुक्त करेगा और साथ ही लिंग भेद संबंधी न्याय के हेतुक को आगे बढ़ाएगा ।

2.6 इस प्रकार उसका निवास किसी पत्नी द्वारा, उसके अधिवास का ध्यान रखे बिना, विवाह-विच्छेद की किसी याचिका के लिए अधिकारिता के आधार का गठन करेगा ।

2.7 निवास से अभिप्रेत है वह स्थान जहां कोई, अधिवास से सुभिन्न रूप में, वास्तव में रहता है । निवास अवश्य ही वास्तविक निवास होना चाहिए ।[8] केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने **टी.जे. पुनेन** बनाम **राठी बर्घीस**[9] में विभिन्न विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिपादनाएं की थीं :

(1) 'निवास' का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पक्षकार का अपना स्वयं का घर होना चाहिए या पक्षकारों के अपने स्वयं के घर होने चाहिए ।

(2) 'निवास' का गठन करने के लिए किसी स्थान पर ठहरना स्थायी होने की आवश्यकता नहीं है ; वह अस्थायी हो सकता है, जहां तक किसी अनिश्चित अवधि के लिए ठहरने का आशय हो ।

(3) 'निवास' से किसी विशिष्ट स्थान में आकस्मिक रूप से ठहरना या वहां की उड़न यात्रा करना नहीं होगा ; किसी अस्थायी प्रयोजन के लिए, किसी स्थान में, वहां रहने के आशय के बिना, केवल आकस्मिक रूप से निवास,

---

[7] विभिन्न अधिनियमितियों, सिविल और आपराधिक दोनों, का संशोधन करने के लिए सिफारिशों पर 178वीं रिपोर्ट (2001) -

[8] सुमती अम्माल बनाम डी पॉल, ए.आई.आर. 1936 मद्रास 324 (एफबी).

'निवास' शब्द के अंतर्गत नहीं आता है ।

(4) 'निवास' मात्र ठहरने से कुछ अधिक का संकेत करता है ; उसमें किसी स्थान में रहने का, और न केवल वहां आकस्मिक रूप से यात्रा करने का, आशय अंतर्निहित होता है ।

(5) जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा जोर दिया गया है कि, 'निवास' का गठन करने के लिए किसी विशिष्ट स्थान में ठहरने से आशय उसे अपना निवास स्थान या निवास, या तो स्थायी या अस्थायी रूप से, बनाने का होना चाहिए ।

(6) 'अंतिम रूप से निवास किया' अभिव्यक्ति से भी वह स्थान अभिप्रेत है जहां व्यक्ति ने अपना अंतिम निवास स्थान या निवास, या तो स्थायी या अस्थायी रूप से, रखा था ।

(7) वहां जहां निवास किसी अधिक स्थायी प्रकृति के साथ, और किसी आकस्मिक या संक्षिप्त निवास के साथ, रहा है, वहां न्यायालयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यह केवल पूर्ववर्ती है जिस पर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए 'साथ निवास' के रूप में विचार किया जा सकता है ।

(8) यह प्रश्न की क्या किसी विशिष्ट व्यक्ति ने किसी विशिष्ट स्थान को अपना निवास स्थान बनाने का चयन किया है, प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों से अवधारित किया जाएगा ।

2.8 विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए भारत में न्यायालयों की अधिकारिता में 1926 के संशोधनकारी अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया गया था । वर्ष 1926 में विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 का संशोधन किए जाने के पूर्व, जो 25 मार्च, 1926 को प्रवर्तन में आया था, विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के

---

[9] ए.आई.आर. 1967 केरल 1 (एफबी).

अधीन निवास के आधार पर विवाह के विघटन की डिक्रियां देने के लिए भारत में न्यायालयों का प्रदत्त अधिकारिता भारत में अधिवसित व्यक्तियों के मामलों तक निर्बंधित नहीं थी ।[10] कोई न्यायालय विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित कर सकता था यदि कार्यवाही के पक्षकार याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय पर न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करते थे । दूसरे शब्दों में पक्षकारों का निवास संबंधी परीक्षण पर्याप्त था और अधिवास इस अधिनियम के अधीन भारत में न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करने के लिए अनिवार्य नहीं था । न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में न्यायालयों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए 1926 के संशोधन के पूर्व दो शर्तें पूरी की जानी अपेक्षित थीं । किंतु कीज बनाम कीज[11] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले में न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं थी जहां प्रत्यर्थी का विदेश में अधिवास था । इशरानी[12] के मामले में कीज[13] के मामले में अधिकथित परीक्षण का अनुसरण नहीं किया गया था । किंतु पश्चातवर्ती मामले के परीक्षण को स्वीकार करते हुए भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 को 1926 में संशोधित किया गया था । संशोधन द्वारा भारत में न्यायालय उन मामलों में के सिवाय जहां विवाह के पक्षकार याचिका प्रस्तुत करने के समय भारत में अधिवसित क्रिश्चियन धर्म मानने वाले हैं, विवाह के विघटन के लिए कोई डिक्री पारित करने के लिए सशक्त नहीं है । पत्नी का अधिवास पति का अधिवास है । यह प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि[14] के नियम के अनुसार है ।

---

[10] इशरानी निरूपमा देवी बनाम विकटर नितेंद्र नारायण, एआईआर 1926 कलकता 871.

[11] (1921) पृष्ठ 204.

[12] ऊपर टिप्पण 10.

[13] ऊपर टिप्पण 11.

III. विधि आयोग की 15वीं रिपोर्ट (1960)

3.1 भारत के विधि आयोग की 15वीं रिपोर्ट भारत में क्रिश्चियनों के बीच विवाह और विवाह-विच्छेद से संबंधित विधि के बारे में है । आयोग ने विवाह और विवाह विषयक वाद विधेयक, 1960 नामक एक प्रारूप विधेयक के रूप में अपना प्रस्ताव दिया था । आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रस्तावित विधान भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर अनुष्ठापित सभी विवाहों को, चाहे उनके पक्षकारों का अधिवास कुछ भी हो, लागू होना चाहिए और यह कि इसमें कोई रिक्तता नहीं छोड़ी जानी चाहिए । इसमें विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में अंगीकार की गई स्कीम का और इंग्लैंड में समरूप विधान के नमूने का भी, जो किंग्डम के भीतर सभी व्यक्तियों को आबद्ध करता है अनुसरण किया गया था । उक्त विधेयक का खंड 35(क) विनिर्दिष्ट रूप से विवाह-विच्छेद मंजूर करने के लिए भारतीय न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में है और निम्नलिखित रूप में है :

> "इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी न्यायालय को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी -
>
> (क) विवाह के विघटन की कोई डिक्री देने के लिए, सिवाय उस दशा में जहां -
>
> (i) विवाह के पक्षकार याचिका के प्रस्तुत किए जाने के समय भारत में अधिवसित हैं ; या
>
> (ii) याचिकाकर्ता, जो पत्नी है, विवाह के ठीक पूर्व भारत में अधिवसित थीं और याचिका के प्रस्तुत किए जाने के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अन्यून की अवधि में भारत में निवास करती रही है"
>
> (जोर देने के लिए निम्न रेखांकित किया गया)

3.2 विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित उक्त विधेयक अधिनियमित नहीं किया गया था ।

IV. निष्कर्ष और सिफारिश

4.1 विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2, जहां तक उसका संबंध विवाह-विच्छेद के लिए याचिकाओं के बारे में अधिकारिता संबंधी नियम से है, वर्तमान समय में केवल उसके अनुरूप ही नहीं है किंतु भारत में क्रिश्चियन स्त्रियों पर कठोर भी है ।

4.2 अतः हम अनुभव करते हैं कि विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 2 का यथोचित रूप से संशोधन किया जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय न्यायालय किसी क्रिश्चियन विवाह के विघटन के लिए कोई याचिका ग्रहण करने लिए उस दशा में हकदार होंगे, जिसमें विवाह के पक्षकारों में से कोई उस समय जब याचिका प्रस्तुत की जाती है, भारत में अधिवसित है । तथापि इस सुझाव से प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय विधि के नियम में भी पत्नी के अधिवास के बारे में अर्थात पत्नी के निर्भर अधिवास की समाप्ति के लिए साथ-साथ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जैसाकि इंग्लैंड में डोमिसाइल एंड मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स एक्ट, 1973 के माध्यम से किया गया था । विकल्पतः विवाह-विधि (संशोधन) अधिनियम, 2003 का अनुसरण करते हुए, उक्त उपबंध को यह उपबंधित करने के लिए संशोधित किया जा सकता है कि विवाह-विच्छेद के लिए कोई याचिका किसी क्रिश्चियन पत्नी द्वारा उस स्थान पर, जहां वह याचिका प्रस्तुत करने की तारीख को निवास कर रही है, फाइल की जा सकती है ।

4.3 यह और अनुभव किया जाता है कि एकरूपता के लिए सभी अन्य विवाह विषयक कानूनों, जिनके अंतर्गत विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हैं, के संबंध में समरूप स्थिति अभिभावी होनी चाहिए ।

4.4 हम तदनुसार सिफारिश करते हैं ।

ह/—

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

अध्यक्ष

ह/—

(प्रा. (डा.) ताहिर महमूद)

सदस्य

ह/—

(डा. ब्रह्म ए. अग्रवाल)

सदस्य-सचिव